न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-432RAAJodhpurRTA2022-163 Govindsingh Vs Derawarsingh etc

गोविंदसिंह पुत्र श्री खेतसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम बामणु, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. देरावरसिंह उर्फ दरियावरसिंह पुत्र डूंगरसिंह
2. भगवान उर्फ भगवतसिंह पुत्र डूंगरसिंह
3. पेपसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
4. जबरसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
5. तखतसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
6. परबतसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
7. रविन्द्रसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
8. हाथीसिंह पुत्र रेवतसिंह
9. शम्भूसिंह पुत्र रेवतसिंह
10. उगमसिंह पुत्र खेतसिंह
   सभी जातियान् राजपूत? निवासीगण- ग्राम बामणु, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 401/2018 गोविंदसिंह बनाम देरावरसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन से सात व दस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 28 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 401/2018 अनवान गोविंदसिंह बनाम देरावरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 254 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 119 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 122 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 158 रकबा 64 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 419 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 468 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 118 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नं. 442 रकबा 174 बीघा 7 ग्राम बामणु तहसील फलोदी के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 254, 119, 122, 158, 419, 468 व 118 वक्त भू-प्रबंध वादी के बड़े भाई डूंगरसिंह, स्वरूपसिंह, रेवतसिंह एवं उगमसिंह के नाम तथा खसरा नं. 442 की भूमि डूंगरसिंह, स्वरूपसिंह, रेवतसिंह, उगमसिंह पिता खेतसिंह तथा बुधसिंह मानसिंह पिता जगतसिंह व खेतसिंह, लखसिंह पिता हेमसिंह के नाम दर्ज हुई। वादी संवतः 2012 में नाबालिग होने से वादग्रस्त आराजी में उसका नाम आने से रह गया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है। वादी का नाम खेत खसरा नं. 125 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

139 रकबा 86 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 129 रकबा 112 बीघा 07 बिस्वा में अपने बड़े भाईयों के साथ दर्ज हुआ, लेकिन वक्त बंदोबस्त अन्य खसरान् की भूमि में नाम दर्ज होना शेष रह गया जो एक लिपिकीय त्रुटि है। अन्त में वादी ने अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा कि जिन खसरों में वादी का नाम अपने भाईयों के साथ दर्ज होने से रह गया अर्थात खसरा नं. 254 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 119 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 122 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 158 रकबा 64 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 419 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 468 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 118 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 442 रकबा 174 बीघा 7 ग्राम बामणु में वादी को प्रतिवादी संख्या एक से दस के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही खसरा नं. 158 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा ग्राम बामणु में पक्षकारान् के हिस्से बाबत गलत प्रविष्टि दुरुस्त की जाकर वादी तथा प्रतिवादी संख्या एक से दस को संयुक्त रूप से 619/1288 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या तीन से छः तथा दस ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का का कभी कब्जा काश्त ही नही रहा तथा वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या एक ता नौ के पूर्वज तथा प्रतिवादी संख्या दस का कब्जा काश्त होने से उनके नाम दर्ज हुई। वादी का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नहीं रहा है। वादी द्वारा वादकरण का मिथ्या कथन किया गया है। वादग्रस्त आराजी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारान् द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है जो सही

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

है। अंत में प्रतिवादी संख्या तीन से छः व दस ने वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी की ओर से जवाबुल-जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी के तथ्यों का खण्डन किया गया। प्रतिवादी संख्या एक, दो, आठ व नौ ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त मानते हुए वादी के वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विचारण न्यायालय द्वारा दावा, जवाबदावा एवं जवाबूल जवाब के आधार पर निम्नांकित तनकियात कायम की गई।

01. आया वादी वादग्रस्त काश्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस के साथ सहखातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित करवाने एवं अभिलेख दुरुस्त करवाने का हकदार है?

जिम्मे वादी

02. आया वादी खसरा संख्या 158 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा ग्राम बामणु में प्रतिवादी संख्या दस के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या एक ता छः का 1453/7728 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या सात का 1/24 हिस्सा की गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करवाकर प्रतिवादी संख्या एक ता दस के साथ संयुक्त रूप से 619/7728 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है? **जिम्मे वादी**

03. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का भू-प्रबंध से पहले से आज तक कब्जा काश्त एवं हक-हिस्सा नहीं रहा, न वादग्रस्त भूमि में आवास रहा। वादी दुरुस्ती अभिलेख एवं सहखातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का हकदार नहीं है?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या तीन ता छः व दस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

04. आया प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किया है? **जिम्मे प्रतिवादी संख्या तीन ता छः व दस**

05. अनुतोष?

वादीगण की ओर मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू-1 गोविन्दसिंह, पीडब्ल्यू-2 गंगासिंह, पीडब्ल्यू-3 नखतसिंह के बयान लिपिबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 से प्रदर्श-18 प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य डीडब्ल्यू-1 उगमसिंह, डीडब्ल्यू-2 पेंपसिंह के बयान लिपिबद्ध करवाये गये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के आधार तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय में अपने वाद के समर्थन में ईएक्सपी-1 से लेकर ईएक्सपी-15 तक सभी दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जिससे यह साबित था कि वादग्रस्त भूमि हिंदु संयुक्त परिवार की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें कुछ खसरों में वादी का नाम अपने भाईयों के साथ दर्ज था तथा कुछ खसरों में नाम शेष रह गया था। उनमें से सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिए था, क्योंकि वादी के वाद के समर्थन में प्रतिवादी संख्या एक ता दो वादी के भाई डुंगरसिंह के वारिसानों ने व प्रतिवादी संख्या आठ व नौ वादी के भाई रेवतसिंह के वारिसानों ने वादी के वाद को स्वीकार कर इकबालिया जवाबदावा दिया था तथा अपने जबाव में यह स्वीकार किया गया है कि वादी व प्रतिवादी एक ही बाप की संतान है तथा वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा है। इस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष वादी के वाद को स्वीकार करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक को वादी के विरुद्ध निर्णित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की गई, जबकि वादी का वाद बखूबी साबित था एवं वह स्वीकार होकर डिक्री किये जाने योग्य था। वाद के साथ प्रस्तुत पर्चा लगान जो अन्य खसरों में वादी के भाईयों के साथ में नाम दर्ज था उससे साबित था कि वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम प्रतिवादी के साथ सहखातेदारी में दर्ज होना चाहिए था, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद का विवेचन किये बिना तनकी संख्या दो को भी वादी के विरुद्ध निर्णित करने में कानूनी भूल की है, जबकि उक्त तनकी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादी के पक्ष में साबित थी। वादी स्वयं ने अपने वाद पत्र में यह तथ्य अंकित किये थे कि वक्त बंदोबस्त वादी नाबालिग था, लेकिन वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिंदु परिवार की अविभाजित भूमि है जो दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित था, फिर भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या तीन को वादी के विरुद्ध निर्णय करने में कानूनी भूल की है। पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में बेचान हस्तांतारण होने से वादी के अपने हिस्से पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण तनकी संख्या चार भी वादी के विरुद्ध निर्णित करने में विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई हैं। वादी द्वारा अपनी लिखित बहस में समस्त तथ्यों का वर्णत किया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का बिना कोई गौर किये बिना दस्तावेज देखे, बिना साक्ष्य देखे वादी के वाद को खारिज करने में भंयकर कानूनी भूल की हैं।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट/वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वजों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का कोई हक-हिस्सा नहीं है। वादी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजी को अविभाजित हिंदु परिवार की पुश्तैनी सम्पति बताया है, जबकि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से पूर्व जागीरदारी की भूमि थी तथा मौके पर काश्तकारान् के कब्जे काश्त अनुसार उनको आवंटित हुई है। इसलिए वादग्रस्त आराजी के अविभाजित हिंदु परिवार की पुश्तैनी संपति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि संवतः 2012 की गिरदावरी में वादी का नाम आया हुआ है, किंतु वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 158 में बेची गई भूमि के संबंध में वादी की कोई आपत्ति नहीं थी। वादी ने अपने वाद में कथन किया है कि वक्त सेटलमेंट वादी नाबालिग था, किंतु जब वादी नाबालिग था तो उनका तीन खसरान् की भूमि में नाम किस आधार पर आया। उपलब्ध अभिलेख से यह भी साबित है वादी के नाम दर्ज भूमि एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में वादी गोविंदसिंह का नाम उनके भाई स्वरूपसिंह जो प्रतिवादी संख्या तीन से सात के पिता है के नाम संयुक्त खातेदारी में पहले और आज कभी दर्ज नहीं रही है। ऐसी स्थित में वादी का वाद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में अपने पूर्वजों की सम्पति होना बताया है, जिसकी ताईद इकबाली जवाबदावे से होती है। वादग्रस्त आराजी आज भी प्रतिवादीगण की अविभाजित हिंदु परिवार की संपति है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसका कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब का निर्णय में विवेचन ही नहीं किया। इस संबंध में निवेदन है कि विचारण न्यायालय में उक्त इकबालिया जवाब को प्रदर्श ही नहीं करवाया गया है। अंत में रेस्पो संख्या सात के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में वादी का वाद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ससम्मान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। मामले का तनकी वार विवेचन निम्नानुसार हैः -

01. **आया वादी वादग्रस्त काश्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस के साथ सहखातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित करवाने एवं अभिलेख दुरूस्त करवाने का हकदार है?**

जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी के वादपत्र, जवाबदावा एवं इकबालिया जवाबदावा के मुताबिक वादी गोविंदसिंह एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के पिता डूंगरसिंह, प्रतिवादी संख्या तीन से छः के पिता स्वरूपसिंह, प्रतिवादी संख्या आठ व नौ के पिता रेंवतसिंह एवं प्रतिवादी दस उगमसिंह सगे भाई है। वादी का कथन है कि वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वक्त सेटलमेंट नाबालिग होने से वादग्रस्त आराजी में उसका नाम दर्ज होने से रह गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेंट विभाग राजस्थान द्वारा जारी पर्चा लगान ईएक्सपी-11 मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या दस उगमसिंह एवं प्रतिवादी संख्या एक से नौ के पिता डूंगरसिंह, स्वरूपसिंह एवं रेवतसिंह की खुदकाश्त की भूमि दर्ज होने से प्रथम जमाबंदी संवतः 2012-2031 प्रदर्शः ईक्सपी.-1 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 254 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा किस्म बाराजी दोयम, खसरा नं. 119 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा किस्म बाराजी सोयम, खसरा नं. 122 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म बाराजी सोयम, खसरा नं. 158 रकबा 64 बीघा 8 बिस्वा किस्म बाराजी सोयम, खसरा नं. 419 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा किस्म बाराजी सोयम, खसरा नं. 468 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा किस्म बाराजी सोयम, खसरा नं. 118 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी **वक्त सेटलमेंट/प्रथम जमाबंदी में** डुंगरसिंह, स्वरूपसिंह, रेवतसिंह व उगमसिंह पिसरान् खेतसिंह कोम राजपुत चाम्पावत के नाम से दर्ज हुई है। ईएक्सीपी-2 व ईएक्सपी-3 के मुताबिक भूमि खसरा नं. 125 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 139 रकबा 86 बीघा 12 बिस्वा, 129 रकबा 112 बीघा 07 बिस्वा की भूमि में वादी गोविंदसिंह का नाम अपने भाईयों डुंगरसिह, स्वरूपसिंह रेवतसिंह एवं उगमसिंह के साथ सहखातेदारी में दर्ज हुआ है। वादी के भाईयों डूंगरसिंह एवं रेंवतसिंह के वारिसान् प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या एक व दो तथा आठ व नौ ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र का समर्थन करते हुए वादग्रस्त आराजी पर वक्त भू-प्रबंध से वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा काश्त माना है तथा खसरा नं. 118 किस्म गैर मुमकिन ढाणी में वर्तमान में भी वादी का परिवार सहित निवास माना है। **अपीलांट के भाई प्रतिवादी संख्या दस उगमसिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि हमारे पांच भाई है। सबसे बड़े भाई डूंगरसिंह, स्वरूपसिंह, रेंवतसिंह उगमसिंह और गोविंदसिंह। वादग्रस्त आराजी कोई खरीदी हुई जमीन नहीं है। वादग्रस्त भूमि मेरे पूर्वज बौते थे।** इन परिस्थितियों में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से वादग्रस्त आराजी वादी की संयुक्त हिंदु परिवार की पैतृक भूमि होने से उसमें वादी का पुश्तैनी हिस्सा साबित है। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार घोषित होने का अधिकारी ठहरता है। लिहाजा अदालत हाजा विचारण न्यायालय के मत से असहमत होने से तनकी संख्या एक वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या तीन से छः व दस के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

02. **आया वादी खसरा संख्या 158 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा ग्राम बामणु में प्रतिवादी संख्या दस के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या एक ता छः का 1453/7728 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या सात का 1/24 हिस्सा की गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करवाकर प्रतिवादी संख्या एक ता दस के साथ संयुक्त रूप से 619/7728 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है?**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिम्मे वादी

तनकी संख्या दो को साबित करने का भार वादी पर था। प्रदर्श-1 से साबित है कि खसरा नं. 158 रकबा 64 बीघा 08 वक्त सेटलमेंट अन्य वादग्रस्त आराजीयात के साथ अपीलांट के भाईयों डुंगरसिंह, स्वरूपसिंह, रेंवतसिंह एवं उगमसिंह के नाम दर्ज हुई। पीडब्ल्यू-1 वादी द्वारा जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि खसरा नं. 158 में सें प्रतिवादी संख्या एक से छः व आठ व नौ ने अपने हिस्से में सें कंवरसिंह, माधुसिंह को 17/48 हिस्सा व कुंभसिंह को 214/1288 हिस्से का बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 158 के वर्तमान खातेदार **प्रतिवादी संख्या एक, दो, आठ व नौ ने वादी के उक्त कथन को अपने जवाबदावे में स्वीकार किया है तथा उक्त दुरुस्ती का समर्थन किया है।** विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपना मत प्रतिपादित किया है। ऐसी स्थिति अदालत हाजा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी पर प्रतिपादित मत से सहमति नहीं होने से उक्त तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या तीन से छः व दस के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

03. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का भू-प्रबंध से पहले से आज तक कब्जा काश्त एवं हक-हिस्सा नहीं रहा, न वादग्रस्त भूमि में आवास रहा। वादी दुरुस्ती अभिलेख एवं सहखातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का हकदार नहीं है?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या तीन ता छः व दस

तनकी संख्या तीन को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या तीन से छः व दस पर था। डीडब्ल्यू-1 उगमसिंह ने अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिरह वादग्रस्त **आराजी को प्रतिवादीगण की खरीदसुदा भूमि नहीं माना है तथा वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वज द्वारा काश्त किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है।** डीडब्ल्यू-2 पेंपसिंह ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि **वादग्रस्त आराजी उनके पिता अथवा दादा की खरीदसुदा भूमि नहीं है।** ऐसी स्थिति में यह स्पष्टतया साबित होता है कि वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से नौ के दादा एवं प्रतिवादी संख्या दस के पिता खेतसिंह का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त रहा है तथा वक्त सेटलमेंट पश्चात भी वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से वादी का कब्जा काश्त होना स्वाभाविक है। लिहाजा उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

04. **आया प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किया है? जिम्मे प्रतिवादी संख्या तीन ता छः व दस**

प्रतिवादी संख्या तीन से छः तथा दस द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से अनुसार भूमि का विक्रय किया गया है। इसके विपरीत वादी के वाद पत्र में कथन किया गया है कि खसरा नं. 158 में हक-हिस्सा रखने वाले सदस्यों को बिना प्रतिफल विक्रय की है, जिसका समर्थन प्रतिवादी संख्या एक, दो, आठ व नौ ने भी अपने जवाबदावे में किया है। वादी द्वारा अपनी जिरह में भी उक्त बेचान पर आपत्ति नहीं किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान नहीं किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 158 में हिस्सा रखने वाले काश्तकारान् को उनके हिस्से विक्रय किये जाने से प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि बेचान किया जाना साबित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिहाज तनकी संख्या तीन प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात में अपने भाईयों डूंगरसिंह, स्वरुपसिंह, रेवतसिंह एवं उगमसिंह के साथ समान हिस्से का सहखातेदार घोषित होने का अधिकारी है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या सात का उज्र है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट पुश्तैनी नहीं थी। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख से साबित है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट खुदकाश्त दर्ज रहीं है तथा वादी के भाई प्रतिवादी संख्या दस उगमसिंह ने वादग्रस्त आराजी अपने अपने पूर्वजों के समय से काश्त होना माना है तथा प्रतिवादी संख्या एक, दो, आठ व नौ ने वादी का हिस्सा माना है। लिहाजा रेस्पोडेंट संख्या एक का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर किये बिना तथा प्रतिवादी संख्या एक, दो, आठ व नौ की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा पर गौर किये बिना तथा उसे अपने निर्णय में विवेचित किया बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 401/2018 अनवान गोविंदसिंह बनाम देरावरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 अपास्त किये जाकर वादी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 254 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 119 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 122 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 118 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी ग्राम बामणू, खसरा नं. 419 रकबा 41 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मनणावर, खसरा नं. 468 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 442 रकबा 174 बीघा 7 ग्राम बामणु खुर्द तहसील फलोदी में प्रतिवादी संख्या एक से दस के साथ संयुक्त रूप से सहहिस्सेदार काश्तकार तथा खसरा नं. 158 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा ग्राम बामणू तहसील फलोदी में प्रतिवादी संख्या 10 उगमसिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक ता छः के नाम दर्ज 1453/7728 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज 1/24 हिस्सा को दुरुस्त किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या एक ता दस के साथ वादग्रस्त आराजी में 619/7728 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर